30/6/25

वकील डॉक्टर उप० । पत्रावली बहस सुनी गई । पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने पर पाया कि डा० पत्र में केवल पत्रावादी का असंतोष होना गया है। उक्त डा० पत्र पर अंकित विवादित भूमि में सीमांकन ही नहीं हुआ है । इसलिए कोई वादकारण ही उत्पन्न नहीं हुआ है। इस कारण डा० पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2025.08.16 14:29:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)